## प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. -1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

	( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )
1.	
	प्र. ई. रि. स. 32/1/2022 दिनांक 2/18/2022
	(अ) अधिनियम. भ्र.नि.(संशोधन) अधिनियम 2018धारां 7
	(ब) अधिनियम
	(स) अधिनियम
	(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
2.	(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
	(ब) अपराध घटने का दिन-दिनांक :- शनिवार 20.08.2022
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 19.08.2022 समय 05.00 पीएम
3	सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक - लिखित
	घटनास्थल :-
	(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पश्चिम 10 कि.मी
	(ब) पता – मित्तल अस्पताल के पीछे सार्वजनिक सडक अजमेर
	बीट सख्याजरायमदेही सं
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
	पुलिस थाना
5	परिवादिया / सूचनाकर्ता :-
	(अ) नाम श्री देवेन्द्र सिंह
	(ब) पिता का नाम श्री हनुमान सिंह
	(स) जन्म तिथि / वर्ष 30 वर्ष
	(द) राष्ट्रीयता भारतीय
	(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथी
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय गाडियों की खरीद-फरोख्त का व्यापार
	(ल) पता म0नं0 09, राहुल नगर, काजीपुरा रोड, बडी नागफनी अजमेर हाल परमा
	बेकरी के सामने, शिवराज पटेल का मकान, फायसागर रोड अजमेर
6.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियक्तो का ब्यौरा सम्पर्ण विशिष्टियों सहित :-
1.	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम जारोडा कलां
	पुलिस थाना मेडता रोड जिला नागौर हाल कानि. नं0 1784 पुलिस हाल पदस्थापन
	पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर थाना किश्चियन गंज, जिला अजमेर
	रिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :कोई नही
8.	चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
^	20,000 रूपये रिश्वत राशि (बीस हजार रूपये)
	चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो) 20,000 रूपये रिश्वत राशि (बीस हजार रूपये)
10.	विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये )
	### [ H.

सेवामें,

श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर।

विषय:- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडाने बाबत। महोदय,

निवेदन है कि मैं देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह रावणा राजपूत निवासी म0नं0 09, राहुल नगर, काजीपुरा रोड, बडी नागफनी अजमेर का रहने वाला हूँ और अभी

माता पिता व परिवार के साथ फायसागर रोड, परमा बेकरी के सामने शिवराज पटेल के मकान में किराये पर रह रहा हूँ। मैं और मेरे पिताजी गाडी चलाते हैं। मेरी मां निशा भाटी ने लगभग 08 साल पहले गाडी के व्यापार के लिये 2014 में परमेश्वर लाल पारीक निवासी पी0एन0बी0 बैंक के पास वाली गली, फायसागर रोड से अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर 10000 / - दस हजार रूपये उधार लिये थे। उसके बाद कई बार पैसों की जरूरत पड़ने पर गहने गिरवी रखकर और पैसे उधार लेते रहे। 2016 में मेरे भाई रविन्द्र के इलाज के लिये 40000 / - चालीस हजार रूपयों की जरूरत पड़ी तब परमेश्वर लाल ने पैसे उधार देते समय मेरी मां निशा भाटी से एक खाली चैक ले लिया था। उस समय तक परमेश्वर से मेरी मां कुल करीब 3.5 लाख रूपये उधार ले चुकी थी। चैक लेते समय परमेश्वर ने गिरवी रखे गहने लौटा देने का भरोसा दिलाया था लेकिन उसने वादे के अनुसार गिरवी रखे गहने वापस नहीं लौटाये और चैक मिलने के कुछ दिन बाद ही खाली चैक में 3.5 लाख रूपये भरकर चैक को बैंक में जमा करा चैक डिसआनर करवाकर मेरी मां के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। उस केस में कोर्ट से मेरी मां निशा भाटी के खिलाफ 138 एन.आई.एक्ट. में वारण्ट जारी होकर पुलिस थाना किश्चियन गंज अजमेर पर आने पर थाने के कानि. श्री सुशील चौधरी ने वारण्ट में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर मेरी मां निशा भाटी से रिश्वत में रूपये लेना शुरू कर दिया जो अब तक मेरी मां से करीब 15 हजार रूपये रिश्वत के ले चुका है। दिनांक 17.08.2022 को समय करीब 1.30 बजे दोपहर में कानि. श्री सुशील चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 8209815406 से मेरी मां के मोबाईल नम्बर 9079636747 पर वाट्स एप काल करके कोर्ट से जारी हुए वारण्ट में गिरफतार नहीं करने के लिये रिश्वत के रूप में 20000/- बीस हजार रूपयों की मांग की है। मेरे मोबाईल नम्बर 8209784747 पर भी आज श्री सुशील चौधरी के मोबाईल नम्बर 8209815406 से वाट्स एप काल आये थे लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया था। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। हमारी श्री सुशील चौधरी से कोई रंजिश नहीं है ना हि कोई लेन देन बकाया है। रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही के लिये पेश है। दिनांकः 19.08.2022 भवदीय एसडी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह मोबाईल नम्बर 8209784747

–कार्यवाही पुलिस–

निवेदन है कि दिनांक 19.08.22 को समय 01.50 पी.एम.पर मुख्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जयपूर से जरिये दूरभाष मन उप अधीक्षक पुलिस को मोबाईल नम्बर 8209784747 के परिवादी से पुलिस कानिस्टेबल द्वारा 138 एन.आई.एक्ट के वारण्ट में गिरफ्तार नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त होने पर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाईल नम्बर 8209784747 पर समय 01.56 पी.एम. पर परिवादी से सम्पर्क कर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट-अजमेर पर उपस्थित आने के निर्देश दिये। समय करीब 05.00 पी.एम. पर परिवादी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने उसका परिचय पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 30 वर्ष पेशा गाडियों की खरीद-फरोख्त का व्यापार करना अवगत कराते हुए स्वयं को म0नं0 09, राहुल नगर, काजीपुरा रोड, बडी नागफनी अजमेर हाल परमा बेकरी के सामने, शिवराज पटेल का मकान, फायसागर रोड अजमेर का निवासी होना अवगत कराते हुए एक लिखित प्रार्थना पत्र उपरोक्त आशय का प्रस्तुत करते हुए माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट प्रकरण संख्या-3 अजमेर के द्वारा जारी आदेश कमांक - दिनांक 18.12.2021 को परमेश्वर लाल बनाम निशा भाटी, फौजदारी प्रकरण संख्या 254 / 15, अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में दिनांक 19.01.2022 को थानाधिकारी पी.एस. किश्चियन गंज अजमेर को उक्त प्रकरण में मुल्जिम निशा भाटी का पूर्व में जारी किये गिरफ्तारी वारण्ट को अदम तामील न्यायालय में पेश करने के आदेश की फोटो प्रति पेश की। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैं और मेरे पिताजी गाडी चलाते हैं। मेरी मां निशा भाटी ने लगभग 08 साल पहले गांडी के व्यापार के लिये 2014 में परमेश्वर लाल पारीक निवासी पी0एन0बी0 बैंक के पास वाली गली, फायसागर रोड से अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर 10,000 /- दस हजार रूपये उधार लिये थे। उसके बाद कई बार पैसों की

जरूरत पड़ने पर गहने गिरवी रखकर और पैसे उधार लेते रहे। वर्ष 2016 में मेरे भाई रविन्द्र के इलाज के लिये 40,000 /- चालीस हजार रूपयों की ओर जरूरत पड़ने पर परमेश्वर लाल ने पैसे उधार देते समय मेरी मां निशा भाटी से एक खाली चैक ले लिया था। उस समय तक परमेश्वर से मेरी मां कुल करीब 3.5 लाख रूपये उधार ले चुकी थी। खाली चैक लेते समय परमेश्वर ने गिरवी रखे गहने लौटा देने का भरोसा दिलाया था लेकिन उसने वादे के अनुसार गिरवी रखे गहने वापस नहीं लौटाये और चैक मिलने के कुछ दिन बाद ही खाली चैक में 3.5 लाख रूपये भरकर चैक को बैंक में जमा करा चैक डिसआनर करवाकर मेरी मां के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। उस केस में कोर्ट से मेरी मां निशा भाटी के खिलाफ 138 एन.आई.एक्ट. में वारण्ट जारी होकर पुलिस थाना किश्चियन गंज अजमेर पर आने पर थाने के कानि. श्री सुशील चौधरी ने वारण्ट में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर मेरी मां निशा भाटी से रिश्वत में रूपये लेना शुरू कर दिया। वारण्ट जारी होने के उपरान्त अब तक मेरी मां से करीब 15 हजार रूपये रिश्वत के ले चुका है। दिनांक 17.08.22 को समय करीब 1.30 बजे दोपहर में कानि. श्री सुशील चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 8209815406 से मेरी मां के मोबाईल नम्बर 9079636747 पर वाट्स एप काल करके कोर्ट से जारी हुए वारण्ट में गिरफ्तार नहीं करने के लिये रिश्वत के रूप में 20,000/- बीस हजार रूपयों की ओर मांग की है। मेरे मोबाईल नम्बर 8209784747 पर भी आज श्री सुशील चौधरी के मोबाईल नम्बर 8209815406 से वाट्स एप काल आये थे लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया था। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा टाईपशुदा होकर प्रार्थना पत्र पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने आरोपी से किसी प्रकार की कोई रंजिश, द्वेषभावना अथवा लेन-देन बकाया नहीं होना अवगत कराया। परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने, परिवादी से पूछताछ करने एवं उसके द्वारा प्रस्तुत न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट प्रकरण संख्या-3 अजमेर के आदेश कमांक - दिनांक 18.12.2021 की फोटो प्रति के अवलोकन से परिवादी के कहे कथनों की पृष्टि ह्यी। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि वह आरोपित श्री सुशील चौधरी कानि. से वाट्स एप काल करके रिश्वत राशि मांगने के बारे में वार्ता कर सकता है। इस पर कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रेकार्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर वायस रिकार्डर में डाला गया। परिवादी को वॉइस रिकार्डर को चालू व बंद करने की समझाईश कर उसमें आरोपी से की जाने वाली वार्ता रिकार्ड करने की प्रकिया से अवगत कराया। परिवादी के मोबाईल नम्बर 8209784747 से आरोपी श्री सुशील चौधरी के मोबाईल नम्बर 8209815406 पर समय करीब 05.38 पी.एम. पर वाट्स एप काल करवाया जाकर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री सुशील चौधरी ने उसे वार्ता करने के लिये मित्तल हास्पिटल के पास बुलाया है। वहाँ मिलने पर आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में रूबरू वार्ता की जा सकती है। परिवादी द्वारा बताये गए उपरोक्त तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का होना पाया जाता है। जिसकी प्रकियानुसार आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 नं0 244 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी व श्री अर्जुन कानि0 का आपस में परिचय कराया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री अर्जुन कानि0 को सुपूर्द किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अर्जुन लाल कानि० नं० 244 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह के साथ परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु मित्तल हास्पिटल के लिए रवाना किया। रवानाशुदा श्री अर्जुन लाल कानि0 मय परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह के कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड प्रस्तुत किया तथा अवगत कराया कि परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह व एसओ श्री सुशील चौधरी कानि. के मध्य मित्तल हास्पिटल के पास जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता हो चुकी है तथा वार्ता के अनुसार परिवादी ने मुझे अवगत कराया कि एसओ ने मेरी माताजी

के नाम न्यायालय द्वारा जारी किये गिरफ्तारी वारण्ट को अदम तामील न्यायालय में लौटाने की एवज में मेरे से 20,000 / - रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा मांग के अनुसार उसने मुझे रिश्वत राशि लेकर मंगलम फ्लेट की तरफ आकर कॉल करने का कहा है। उक्त वार्ता परिवादी के बताए अनुसार कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चालु कर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से 20,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग करने की ताईद हुई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय पर दिनांक 20.08.2022 को प्रातः उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर रूख्स्त किया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा गया। कार्यालय स्टाफ को आवश्यक हिदायत प्रदान कर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। दिनांक 20.08.22 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतू स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय से एक तहरीर जारी कर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, अजमेर से स्वतन्त्र गवाह लाने हेत् कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 को रवाना किया गया। रवानाशुदा कानि० श्री अर्जुन कानिस्टेबल मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री विनोद सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र कुमार गहलोत सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। कुछ समय बाद परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आए। तलबशुदा गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री जितेन्द्र कुमार व परिवादी का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर दर्ज वार्ता के मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की सहमति चाहने पर अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। तत्पश्चात श्री अर्जुन राम कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट शब्द व शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियाँ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गयी एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डिचट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गए। तत्पश्चात परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि पेश करने हेतू कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सुशील चौधरी कानि. पुलिस थाना किश्चियन गंज जिला अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर दो-दो हजार रूपये के 10 नोट कुल 20,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बीनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दुष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि. 114, श्री लखन कानि. 420, श्री भरत सिंह कानि.18, श्री हुकमाराम कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद व श्री जितेन्द्र कुमार एवं परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह व श्री अर्जुन कानि० मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी की मोटरसाईकिल से तथा कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो, निजी मोटरसाईकिल व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के मित्तल हॉस्पिटल,अजमेर की ओर रवाना हुए। रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के कार्यालय से रवाना होकर मित्तल हॉस्पिटल के पास पहुँचे। जहा मन उप

32

अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को ईशारे से रूकवाकर मोटरसाईकिल साईड मे खडी करवा परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वाटस एप कॉल कर वार्ता करायी गई तो आरोपी ने मित्तल अस्पताल के पीछे बनी सडक पर कुछ ही समय मे आने हेतु कहा। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उक्त वार्ता को परिवादी का मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर में दर्ज की गयी। उक्त दर्ज वार्ता को मौके पर ही सुना गया तो दर्ज वार्तानुसार आरोपी ने मित्तल अस्पताल के पीछे बनी सडक की ओर आने की सहमति दी। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आवश्यक समझाईश कर आरोपी से सम्पर्क कर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुपुर्द किया गया तथा परिवादी को रिश्वत राशि के निर्धारित ईशारे बाबत अवगत कराया जाकर आवश्यक हिदायत प्रदान कर रिश्वत राशि देने हेतु मित्तल अस्पताल के पीछे बनी सडक की ओर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व गवाहान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडे रहने के निर्देश प्रदान कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। कुछ समय बाद श्री देवेन्द्र सिंह ने मन उप अधीक्षक पुलिस की ओर देखते हुए रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के मित्तल अस्पताल के पीछे बनी सडक पर पहुंचे। जहा परिवादी ने ईशारे से मोटरसाईकिल पर बैठे हुए व्यक्ति को श्री सुशील कुमार कानि0 होना बताते हुए वॉइस रेकार्डर सुपुर्द किया। इतने मे ही मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति रवाना होने लगा। जिसे हमराहियान स्टाफ व गवाहान की मदद से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बमुश्किल रोका गया। तत्पश्चात मोटरसाईकिल पर बैठे हुए व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुशील कुमार कानि. नं0 1784 पुलिस हाल पदस्थापन पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर थाना किश्चियन गंज, जिला अजमेर होना बताया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी मेने कुछ समय पूर्व श्री सुशील कुमार कानि0 से मोबाईल वाटस एप कॉल से वार्ता की थी, जिस पर इनके कहेनुसार मै मित्तल अस्पताल के पीछे बनी सडक पर इनके ईन्तजार मे उपस्थित रहा। कुछ देर बाद श्री सुशीलजी मेरे पास मोटरसाईकिल से उक्त स्थान पर आए व मैरे से वार्ता कर रिश्वत राशि 20,000 रू0 प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की सामने की दाहिनी जेब में रख लिए, तत्पश्चात मैने आपको रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर कर दिया। इस पर श्री सुशील कानि0 से परिवादी द्वारा बताए कथनानुसार प्राप्त रिश्वत राशि बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी जोर-जोर से चिल्लाने लगा मेरी गलती हो गई, मै मर जाउंगा, मै दुबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड दो। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान के समक्ष परिवादी को तसल्ली देकर पूनः पूछा तो आरोपी ने बताया कि मेने श्री देवेन्द्र सिंह से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है तथा इसकी माताजी के विरूद्ध माननीय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआईएक्ट न्यायालय संख्या 03, अजमेर से गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो रखा है, जिसको दिनांक 18.08.22 को ही अदम तामील माननीय न्यायालय मे पेश किया जा चुका है। मैने देवेन्द्र सिंह से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। इसने मुझे जबरदस्ती मेरी पहनी हुई जिंस की पेन्ट में कुछ रूपये रखे है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह ने आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए स्वतः ही बताया कि सुशीलजी झूंठ बोल रहे है, मैने कोई रूपये इनको जबरदस्ती नहीं दिये है। इन्होने मेरी माताजी के नाम से जारी गिफ्तारी वारण्ट को अदम तामील भेजने एवं गिरफ्तार नहीं करने के बदले मे पूर्व मे 15,000 रू0 रिश्वत के रूप में लिये थे ओर मेरे से दिनांक 19.08.22 को सुशीलजी द्वारा 20,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की थी। मांग के अनुरूप ही अभी-अभी सुशीलजी ने मेरे से 20,000 रू0 अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखे है। इस पर आरोपी श्री सुशील कुमार से रिश्वत राशि बाबत जानकारी चाही तो वह चुप रहा तथा कुछ नहीं बोला। इस पर उपस्थित गवाह श्री विनोद से आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 की जामा तलाशी लिवायी गई तो गवाह ने आरोपी की जिंस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 2,000-2,000 रू० के दस नोट होकर कुल 20,000 रू० व एक मोबाईल फोन वन प्लस व एक ताले की चाबी मिली। उक्त 20,000 रू0 के बारे मे आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 से पूछताछ की तो वह चुप रहे तथा अपनी गर्दन झुका ली व किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया। इस पर प्राप्त रिश्वत राशि नोटो को गवाह श्री विनोद के पास सुरक्षित रखवाये गए। मौके पर आम सडक तथा अस्पताल होने

32

की वजह से काफी भीड इकटठी हो गई। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतू आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 के दाहिने व बाएं हाथ को कमशः श्री अर्जून कानि0 व श्री भरत सिंह कानि0 से पोचो के उपर से पकडवाये गए तथा आरोपी की मोटरसाईकिल कानि0 श्री लखन को सुपुर्द कर कार्यालय पहुचने के निर्देश प्रदान किए तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व आरोपी तथा माल वजह सब्त के अपने-अपने वाहनों से रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 व माल वजह सबूत के ब्यूरो कार्यालय एसयू, अजमेर पहुचा। जहां प्रकियानुसार ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर कार्यालय में से साफ पानी लिया जाकर दो साफ कांच के गिलासो को साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग-अलग गिलासो के घोल मे श्री सुशील कुमार के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को कमंशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को कमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री विनोद के पास आरोपी श्री सुशील कुमार की पहनी हुई जिस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामदशुदा 20,000 रू0 की रिश्वत राशि नोटो का मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो फर्द में अंकित कम संख्या 1 से 10 तक के रिश्वती नोटों के नम्बरो का मिलान हबह होना बताया गया।

1	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	9GN	254199
2	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3GM	369619
3	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3LA	651870
4	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DD	367891
5	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1ED	709782
6	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	7HR	347320
7	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3НС	318779
8	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	7FL	335714
9	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	4ER	164035
10	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6CK	312132

बरामदशुदा नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा जामा तलाशी में मिला मोबाईल फोन व चाबी आरोपी को सुपुर्द की गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री सुशील कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त स्थान का धोवण लिया जाने हेतु आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर प्रक्रियानुसार एक साफ कांच के गिलास को साफ कर उसमें स्वच्छ पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना बताया। आरोपी की पहनी हुई जिंस के पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। प्राप्त धोवण को दो साफ कांच की शीशियों में आधा—आधा भरकर सिल्ड चिट कर कमशः मार्क पी—1, पी—2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की जिंस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाया जाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलकर सिल्डचिट किया जाकर उक्त पैकेट को मार्क "पी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जा कर कब्जा एसीबी लिया गया। इस पर आरोपी

32

श्री सुशील कुमार को परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की माताजी श्रीमती निशा भाटी पत्नि श्री हनुमान सिंह निवासी प्लाट नं0 1284 कोटडा आवासीय योजना कल्पतरू उद्यान के आगे अजमेर के माननीय न्यायालय एनआईएक्ट संख्या 03 अजमेर द्वारा परमेश्वरलाल बनाम निशा भाटी के नाम से जारी गिरफ्तारी वारण्ट बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी श्री सुशील ने अवगत कराया कि उक्त गिरफ्तारी वारण्ट मुझे तामील हेतु पुलिस थाना किश्चियनगंज से दिनांक 12.08.22 को दिया गया था जो मेरे द्वारा अदम तामील कर माननीय न्यायालय को सीधे ही प्रेषित कर दिया गया है। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना किश्चियनगंज से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जिए दूरभाष वार्ता की जाकर पुलिस थाना किश्चियनगंज के सम्मन व वारण्ट रजिस्टर की प्रति सिहत सम्बन्धित रजिस्टर संधारित करने वाले व्यक्ति को भिजवाये जाने हेतु निर्देश दिये गए। जिस पर प्राप्त निर्देशो की पालना मे थानाधिकारी द्वारा पुलिस थाना किश्चियनगंज के श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 20, पुलिस थाना किश्चियनगंज अजमेर को मूल सम्मन व वारण्ट रजिस्टर लेकर भ्रनिब्यूरो, एसयू अजमेर पर भिजवाया गया। जिन्होने मन् उप अधीक्षक पुलिस को मूल सम्मन व वारण्ट रजिस्टर पेश कर अवगत कराया कि कम संख्या 1781 दिनांक 12.08.22 को माननीय न्यायालय एनआईएक्ट संख्या 03 अजमेर से परमेश्वरलाल शर्मा बनाम निशा भाटी प्रकरण संख्या 254/15 मे श्रीमती निशा भाटी पत्नि श्री हनुमान सिंह निवासी प्लाट नं0 1284 कोटडा आवासीय योजना कल्पतरू उद्यान के आगे अजमेर का गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 12.08.22 को प्राप्त हुआ था, जो सम्मन वारण्ट रजिस्टर मे इन्द्राज करने के उपरान्त पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर मे पदस्थापित श्री सुशील कुमार कानि0 नं0 1784 को तामील हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे नियत दिनांक 18.08.22 तक भी तामील अथवा अदम तामील रिपोर्ट थाना हाजा पर प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही इसका किसी प्रकार का कोई इन्द्राज थाना हाजा के रेकार्ड पर करवाया गया है। उक्त वारण्ट अगर सम्बन्धित कानि0 द्वारा सीधे ही माननीय न्यायालय को भिजवाया गया तो थाना हाजा के रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है। इस पर उपस्थित श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 20 द्वारा मूल सम्मन वारण्ट रजिस्टर के कम संख्या 1781 के पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की तथा मूल सम्मन वारण्ट रजिस्टर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 20 को लौटाया जाकर सुपुर्द किया गया तथा प्रस्तुतशुदा प्रमाणित प्रति वास्ते वजह सबूत कब्जे एसीबी ली जाकर शामिल फर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 की मोटरसाईकिल नं0 आरजे-21सीएस-3370 स्पलेण्डर वाहन श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 20 को आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 के कहेनुसार सुपुर्द की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा मौके पर प्रस्तुत वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाया गया तो आरोपी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की होना बतायी। दर्ज आवाज को सूनने पर आरोपी द्वारा परिवादी से वक्त लेन-देन के समय रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई। जिसकी उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि नोट एवं जब्ती हाथ धुलाई अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। आरोपी को नियमानुसार जरिए फर्द गिरफ्तार कर पृथक से फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका घटना स्थल व आरोपी के किराये के निवास स्थान रहवासी मकान की फर्द खाना तलाशी पृथक-पृथक तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त लेन-देन से पूर्व व लेनदेन के समय की गई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है को कम्पयूटर की सहायता से गवाहान व परिवादी के समक्ष ऑपरेट कर शब्द-ब-शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट अलग से मुर्तिब की गयी जिस पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थेली मे डालकर न्यायालय हेतु तथा मैमोरी से तैयार की गयी एक सीडी कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड की जाकर, संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा दूसरी अन्य सीडी को कागज के लिफाफे मे रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली की गयी।

उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की माताजी श्रीमती निशा भाटी पत्नि श्री हनुमान सिंह के विरूद्ध माननीय न्यायालय एनआईएक्ट संख्या 03 अजमेर में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 254/15

अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में जारी गिरफ्तारी वारण्ट में पुलिस थाना किश्चियन गंज के श्री सुशील कुमार कानि0 नं0 1784 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर वेद्य कार्य के बदले मे गिरफ्तारी वारण्ट में गिरफ्तार नहीं करने व अदम तामील की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की एवज मे परिवादी की माता से पूर्व मे करीब 15 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा दिनांक 19.08.22 को उक्त गिरफ्तारी वारण्ट को अदम तामील भेजने व गिरफ्तार नहीं करने के बदले में रिश्वत राशि 20,000 रू० की मांग की गई जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मे स्पष्ट है तथा उक्त मांग सत्यापन के अनुसरण मे आज दिनांक 20.08.22 को आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर 20,000 रू0 की रिश्वत राशि वरवक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सुशील कुमार कानि. नं0 1784 पुलिस हाल पदस्थापन पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर थाना किश्चियन गंज, जिला अजमेर की पहनी हुई जिंस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद हुयी है तथा आरोपी श्री सशील कुमार के दाहिने व बाएं हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी व पहनी हुई जिंस पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गूलाबी होना पाया गया हैं तथा रिश्वत राशि भी आरोपी श्री सुशील कुमार कानि0 से बरामद होना पाया जाने से आरोपी श्री सशील कुमार कानि. नं0 1784 पुलिस हाल पदस्थापन पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर थाना किश्चियन गंज, जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्युरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

(राकेशे कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट—अजमेर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मोहनराम, कानि. नम्बर 1784, पुलिस चौकी हरिभाउ उपाध्याय नगर, पुलिस थाना किश्चियन गंज, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 321/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक: 2808-12 दिनांक 21.8.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
- 4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।